

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि <u>24 माघ, 1945 (श०)</u> <u>13 फरवरी, 2024 (ई०)</u>

-

प्रश्नों की कुल संख्या 06

		कुल योग	06
(2)	समाज कल्याण विभाग		01
(1)	शिक्षा विभाग	-	05

प्रयोगशाला चालू कराना

1. <u>श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपूर)</u>--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी उच्च विद्यालयों एवं इन्टरस्तरीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण विज्ञान की प्रवोगशाला मृतप्राय है जिसके कारण विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के सभी विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आवश्यक संरचना से सुसज्जित कर चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पढाई की गुणवत्ता में सुधार

 <u>श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभांगा)</u>--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 जनवरी,
2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''राज्य में सरकारी स्कूल के 10 लाख बच्चे ले रहे हैं कोचिंग'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कुपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पाध्यभिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 10 लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खराब एवं गुणवत्ता विहीन शिक्षा व्यवस्था के कारण ये छात्र कोचिंग में पढाई कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपलब्ध कराना

3. <u>श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)</u> -- दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''हर साल 32 प्रतिशत इंटर पास छात्रों को नहीं मिल पाता कॉलेज'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने को कपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा में हर साल लगभग 11 लाख छात्र-छात्रायें उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन स्नातक की समुचित सुविधा राज्य में नहीं रहने के कारण मात्र 4 लाख छात्र-छात्राओं का नागांकन स्नातक में हो पाता है, जिससे मात्र 6.11 प्रतिशत ही स्नातक की शिक्षा पा सकते हैं, यदि हाँ, तो सरकार इंटर उत्तीर्ण

सभी छात्र-छात्राओं को स्नातक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कौन-सा- कदम उठाना चाहती है ?

कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराना

4. <u>डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)</u> -- स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार 18.3 प्रतिशत स्कूलों में ही कम्प्यूटर सुविधा'' के आलोक में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत हर स्कूल में कम्प्यूटर लैब के साथ-साथ कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने की अनिवार्यता के बावजूद एन0सी0ई0आर0टी0 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 18.3 प्रतिशत सरकारी/निजी स्कूलों में हो कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध हो पाई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रदेश के सभी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब, उपकरण आदि की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मासिक पेंशन बढाना

5. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कुपा करेंगे कि--

 (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के दृष्टिहीन लोगों को सिर्फ 500 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है :

(2) क्या यह बात सही है कि दृष्टिहीन लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिये कोई कल्याणकारी योजना नहीं है :

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दृष्टिहीन लोगों का मासिक पंशन बढाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हौं, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

6. <u>श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 मागलपुर)</u> - क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि यू0जी0सी0 द्वारा दिनांक 11 अप्रील, 2023 को देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिये छात्रों की शिकायत निवारण संबंधी यू0जी0सी0 रेंगूलेशन, 2023 जोरी किया गया, जिसमें एक महीने के भीतर लोकपाल की नियुक्ति करने की बाध्यता थी, परंतु बिहार के 17 विश्वविद्यालयों में से मगध विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष 15 विश्वविद्यालयों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करने को बाध्यता थी, परंतु बिहार के 17 विश्वविद्यालयों में से मगध विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष 15 विश्वविद्यालयों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करने की बाध्यता थी, परंतु बिहार के 17 विश्वविद्यालयों में से मगध विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष 15 विश्वविद्यालयों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति कहीं किये जाने के कारण यू0जी0सी0 द्वारा अनुदान रोके जाने की कार्रवाई दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से की गई है, यदि हाँ, तो लोकपाल की नियुक्ति ससमय नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

पटना : दिनांक 13 फरवरी, 2024 (ई0) । राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0म0, 83(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550